

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त, रायपुर (छत्तीसगढ़)

☎ : (0771) 2523769, 2888509, Fax :- 2886152 - E-mail- cfrpr@rediffmail.com

क्रमांक/तक.शा./विविध/4404

रायपुर, दिनांक 19/4/2023

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक

(भू-प्रबंध/व.सं.अ.)

छत्तीसगढ़ नवा रायपुर

विषय:— Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 proposed for Jio Digital Fibre Private Ltd. Raipur Laying of Optical Fibre Cable (OFC) line in Gariyaband Forest Division under Gariyaband District of Chhattisgarh State, Area 2.921 ha.

पंजीयन क्रमांक—FP/CG/OFC/155724/2022

संदर्भ:—1. आपका पृ.क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-939-A/399 दिनांक 22.02.2023

2. वनमंडलाधिकारी गरियाबंद वनमंडल गरियाबंद का पत्र क्रमांक/मा.चि./एफ. सी. ए./22-23/636 दिनांक 05.04.2023

—00—

विषयांतर्गत निवेदन है कि संदर्भित पत्र 01 के माध्यम से आपके द्वारा गरियाबंद वनमंडल अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु जियो डिजिटल फाईबर प्राईवेट लिमिटेड द्वारा Laying of Optical Fibre Cable (OFC) line in Gariyaband Forest Division under Gariyaband District of Chhattisgarh State, हेतु रकबा 2.921 हे. व्यपवर्तन प्रस्ताव में ऑनलाईन एवं ऑफलाईन में 02-02 बिन्दुओं पर त्रुटियां पायी गयी है। उक्त त्रुटियों की पूर्ति कर पुनरीक्षित प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु लेख किया गया है। इस संबंध में संदर्भित पत्र 02 के माध्यम से वनमंडलाधिकारी गरियाबंद वनमंडल गरियाबंद के द्वारा पुनरीक्षित प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

अतः वनमंडलाधिकारी गरियाबंद वनमंडल गरियाबंद के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव अवलोकन उपरांत अनुशंसा सहित आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न संप्रेषित है।

संलग्न:— उपरोक्तानुसार।

(प्रस्ताव 03 प्रतियों में मय डी.जी. पी.एस. रिपोर्ट सहित)

पृ. क्रमांक/तक.शा./विविध/4405

प्रतिलिपि :-

1. वनमंडलाधिकारी गरियाबंद वनमंडल गरियाबंद की ओर संदर्भित पत्र 02 के तारतम्य में सूचनार्थ अग्रेषित।
2. असिस्टेंट वाईस प्रेसिडेंट (कार्पो. अफेयर्स), जियो डिजिटल फाईबर प्राईवेट लिमिटेड रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक

रायपुर वृत्त, रायपुर (छ.ग.)
रायपुर, दिनांक 19/4/2023

मुख्य वन संरक्षक

रायपुर वृत्त, रायपुर (छ.ग.)
17/04/23

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव

(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग - 3

(संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

1. स्थल जहां को वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है।
(हाँ/नहीं) यदि हाँ हो तो निरीक्षण की तारीख और किए गए प्रक्षेपों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

नहीं

2. क्या संबंधित वन संरक्षक भाग (ख) में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत हैं।

हाँ

3. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष टिप्पणियाँ।

अप्रतिभा

दिनांक :- 31.01.2023

स्थान :- रायपुर

JR Nuph
जे. और. नूप (म. व.)
हस्ताक्षर
मुख्य और संरक्षक
रायपुर संरक्षक (इ. ग.)